



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042025-262433
CG-DL-E-12042025-262433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]
No. 293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2025/चैत्र 21, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2025/CHAITRA 21, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 4, फरवरी 2025

सं.-एल-1/268/2022/सीईआरसी-केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 और उसके साथ पठित उसकी धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 है।

1.2 ये विनियम दिनांक 1.4.2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 3 का संशोधन

2.1 मूल विनियमों के उप-विनियम (9) के बाद उप-विनियम (9क) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:-

"बैंक दर" से समय-समय पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष की ऋण की मार्जिनल लागत की दर या वर्तमान में लागू उसके किसी प्रतिस्थापन के साथ 100 बेसिस प्वाइंट्स अभिप्रेत है।"

3. मूल विनियमों के विनियम 9 एवं 10 का संशोधन

- 3.1 मूल विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (5) में, शब्दों और वाक्यांशों "1-वर्ष एसबीआई एमसीएलआर जमा 100 बेसिस प्वाइंट्स के साधारण ब्याज की दर पर" के स्थान पर शब्द "बैंक दर पर" रखे जाएंगे।
- 3.2 मूल विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (3) में, शब्दों और वाक्यांशों "1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर जमा 100 बेसिस प्वाइंट्स" के स्थान पर शब्द "बैंक दर" रखे जाएंगे।
- 3.3 मूल विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (6) में, शब्दों और वाक्यांशों "1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर जमा 100 बेसिस प्वाइंट्स" के स्थान पर शब्द "बैंक दर" रखे जाएंगे।
- 3.4 मूल विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (7) में, शब्दों और वाक्यांशों "1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर जमा 100 बेसिस प्वाइंट्स के आधार पर निकाले गई दर" के स्थान पर शब्द "बैंक दर" रखे जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 36 का संशोधन

- 4.1 मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) के प्रथम परंतुक में, संख्या "0.09%" के स्थान पर संख्या "0.12%" रखी जाएगी।
- 4.2 मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) के द्वितीय परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा:—

"परंतु यह कि स्व-बीमा प्रीमियम को दावों को पूरा करने के लिए उपयोग हेतु पृथक निधि में अंतरित किया जाएगा, और किए गए व्यय या स्व-बीमा निधि से उपयोग की गई राशि को निर्देश दिए जाने पर आयोग को उपलब्ध करवाई जाएगी।"

5. मूल विनियमों के विनियम 37 का संशोधन

- 5.1 मूल विनियमों के विनियम 37 के उप-विनियम (2) के अधीन परंतुक को निम्नलिखित परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"परंतु यह कि उत्पादन कंपनी अपनी याचिका में अंतरिम इनपुट कीमत का अनुरोध कर सकती है, जिसकी अनुमति आवेदन की प्रथम सुनवाई के बाद दावा की गई इनपुट कीमत के 90% तक आयोग द्वारा दी जा सकती है;

परंतु यह और कि इन विनियमों के अधीन अवधारित कोयले की इनपुट कीमत और इस उप-विनियम के संबंध में उत्पादन कंपनी द्वारा अपनाई गई कोयले की इनपुट कीमत या इस उप-विनियम के प्रथम परंतुक के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञात अंतरिम इनपुट कीमत का अंतर इन विनियमों के उप-विनियम (4) के अनुसार वसूली-योग्य या देय होगा।"

- 5.2 मूल विनियमों के विनियम 37 के उप-विनियम (4) और उसके अधीन द्वितीय परंतुक में, शब्दों और वाक्यांशों "1-वर्ष एसबीआई एमसीएलआर जमा 100 बेसिस प्वाइंट्स" के स्थान पर शब्द "बैंक दर" रखे जाएंगे।

6. मूल विनियमों के विनियम 50 का संशोधन

- 6.1 मूल विनियमों के विनियम 50 के उप-विनियम (1) के प्रथम परंतुक में, शब्दों और वाक्यांशों "माह में कोयले के अनुरूप ग्रेड के लिए कोयला इंडिया लि. की अधिसूचित कीमत पर आधारित" के स्थान पर शब्द और वाक्यांश "किसी माह में स्टेशन को उपलब्ध वैकल्पिक कोयले की कीमत पर आधारित" और शब्दों और वाक्यांशों "लाभार्थी (लाभार्थियों) की पूर्व सहमति उत्पादन कंपनी द्वारा प्राप्त करना अपेक्षित होगा" के स्थान पर शब्द और वाक्यांश "तो उत्पादन कंपनी को लाभार्थी (लाभार्थियों) से पूर्व सहमति प्राप्त करना होगा" रखे जाएंगे।
- 6.2 मूल विनियमों के विनियम 50 के उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक में, शब्दों और वाक्यांशों "माह में कोयले के अनुरूप ग्रेड के लिए कोयला इंडिया लि. की अधिसूचित कीमत पर आधारित" के स्थान पर शब्द और वाक्यांश "किसी माह में स्टेशन को उपलब्ध वैकल्पिक कोयले की कीमत पर आधारित" रखे जाएंगे।
- 6.3 मूल विनियमों के विनियम 50 के उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतर्वेशित किया जाएगा:

“स्पष्टीकरण: उत्पादन स्टेशन के लिए वैकल्पिक कोयला उस व्यवस्था से कोयले का स्रोत होगा जो उत्पादन कंपनी द्वारा संबद्ध एकीकृत खदान से कोयले की कमी या गैर-उपलब्धता के मामले में की जाती और सभी अन्य उपलब्ध विकल्पों की तुलना में न्यूनतम लागत व्यवस्था होती।”

7. मूल विनियमों के विनियम 51 का संशोधन

7.1 मूल विनियमों के विनियम 51 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“51. अत्यधिक भार निराकरण (ओबी समायोजन) की कमी के कारण समायोजन:

(1) उत्पादन कंपनी खदान योजना में विनिर्दिष्ट अत्यधिक भार का निराकरण करेगी।

(2) वर्ष के दौरान अत्यधिक भार निराकरण में कमी या आधिक्य के मामले में उत्पादन कंपनी को दिनांक 31.3.2029 तक टैरिफ अवधि के शेष वर्षों के दौरान ऐसी कमी या आधिक्य, यथास्थिति, यदि कोई हो, को समायोजित करने की अनुमति होगी।

परंतु यह कि —

क) दिनांक 31.3.2029 को आधिक्य अत्यधिक भार को, यदि कोई हो, उन कारणों से जो उत्पादन कंपनी पर आरोप्य नहीं हैं, इनपुट कीमत के टूट अप के समय टैरिफ अवधि की समाप्ति से आगे ले जाने की अनुमति होगी;

ख) उत्पादन कंपनी, टूटिंग अप के उद्देश्य से टैरिफ अवधि की समाप्ति पर अत्यधिक भार के समायोजन के विवरण प्रस्तुत करेगी।

(3) जहाँ वर्ष में अत्यधिक भार निराकरण, खदान योजना में दिए गए निष्कर्षण की वर्ष वार अनुसूची के अनुसार निराकरण किए जाने वाले अत्यधिक भार से कम है, तो उस वर्ष के लिए अत्यधिक भार निराकरण (“ओबी समायोजन”) की कमी के कारण समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा:—

क) यदि खनन विकासकर्ता और प्रचालक नियुक्त किया गया है:—

$$\text{ओबी समायोजन} = [\text{वर्ष के दौरान अत्यधिक भार निराकरण की कमी के लिए समायोजन का घटक}] \times [\text{वर्ष के दौरान खनन प्रभार}]$$

ख) यदि खनन विकासकर्ता और प्रचालक को नियुक्त नहीं किया गया है:—

$$\text{ओबी समायोजन} = [\text{वर्ष के दौरान अत्यधिक भार निराकरण की कमी के लिए समायोजन का घटक}] \times [\text{वर्ष के दौरान खनन गतिविधि के प्रचालन और रखरखाव खर्च}]$$

जहाँ,

i) वर्ष के दौरान अत्यधिक भार निराकरण की कमी के लिए समायोजन का घटक निम्नानुसार संगणित किया जाएगा:—

$$[(\text{खनन योजना के अनुसार वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात}) - (\text{वर्ष के दौरान कोयले की वास्तविक मात्रा और निराकरण किए गए अत्यधिक भार पर आधारित वास्तविक स्ट्रिपिंग अनुपात})] / (1 + \text{खनन योजना के अनुसार वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात});$$

ii) वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात खनन योजना में यथाविनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट की एक यूनिट के लिए निराकरण किए जाने वाले अत्याधिक भार की मात्रा का अनुपात है।

iii) खनन प्रभार, खदान विकासकर्ता और प्रचालक के साथ संविदा के अनुसार ओबी समायोजन के बिना, खनन के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त खदान विकासकर्ता और प्रचालक, जहाँ भी लागू हो, को उत्पादन कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कोयले या लिग्नाइट का प्रति टन कोट किया गया प्रभार है।

iv) खनन प्रभार और प्रचालन और रखरखाव व्यय, स्ट्रिपिंग अनुपात और खनन योजना के अनुसार कोयले की वार्षिक मात्रा और अत्याधिक भार के तदनुरूप रूप प्रति टन के अनुसार होगा।

- v) खनन गतिविधि के प्रचालन और रखरखाव व्यय, इन विनियमों के विनियम 43 में वार्षिक निष्कर्षण लागत में माने गए प्रचालन और रखरखाव व्यय होंगे और इन विनियमों के विनियम 40 में उप-विनियम (1) में क्रशिंग, परिवहन, वाशिंग, और हैंडलिंग से संबंधित प्रचालन और रखरखाव व्यय को छोड़कर होंगे।
- vi) जहाँ उत्पादन कंपनी ने खनन के लिए खदान विकासकर्ता और प्रचालक को नियुक्त किया है और खदान विकासकर्ता और प्रचालक के साथ संविदा के अनुसार ओबी समायोजन किया गया है, वहाँ इन विनियम के अनुसार निवल ओबी समायोजन की संगणना, इस विनियम के विनियम 51(3) के अनुसार ओबी समायोजन और खदान विकासकर्ता और प्रचालक के साथ उत्पादन कंपनी की संविदा के अनुसार ओबी समायोजन के अंतर के आधार पर की जाएगी:

परंतु यह कि यदि खदान विकासकर्ता और प्रचालक के साथ संविदा के अनुसार ओबी समायोजन, विनियम 51(3) के अनुसार ओबी समायोजन से अधिक होता है, तो ओबी समायोजन को शून्य माना जाएगा।

(4) अत्यधिक भार निराकरण की कमी या अधिकता, यदि कोई हो, के कारण समायोजन से संबंधित इस विनियम के उपबंध, कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन नीलामी रूट के माध्यम से आबंटित एकीकृत खदान (खदानों) के मामले में लागू नहीं होंगे।”

8. मूल विनियमों के विनियम 55 का संशोधन

8.1 विनियम 55 में, शब्दों “कोयला मंत्रालय, भारत सरकार” के स्थान पर शब्द “केन्द्र सरकार” रखे जाएंगे।

9. मूल विनियमों के विनियम 64 का संशोधन

9.1 मूल विनियमों के विनियम 64 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) के द्वितीय परंतुक में, शब्द और वाक्यांश “खंड (5)” के स्थान पर शब्द “खंड (6)” रखे जाएंगे।

10. मूल विनियमों के विनियम 70 का संशोधन

10.1 मूल विनियमों के विनियम 70(क) के खंड (ख) में, शब्दों “31.03.2024 को” के बाद शब्द “या उसके बाद खंडों (ग), (घ) और (ङ) के अधीन कवर किए गए को छोड़कर” जोड़े जाएंगे।

10.1 मूल विनियमों के विनियम 70(ख) के खंड (ख) में, शब्दों “31.03.2024 को” के बाद शब्द “या उसके बाद” जोड़े जाएंगे।

10.2 मूल विनियमों के विनियम 70(ङ) में –

क) चंद्रपुर टीपीएस (2x250 मेगावाट) (डीवीसी) के संबंध में सारणी में द्वितीय पंक्ति में सहायक उपभोग के मान “9.50%” के स्थान पर मान “9.80%” रखा जाएगा;

ख) खंड (घ) के उप-खंड (iii) के अधीन, शब्दों “टीपीएस-I (विस्तार)” के स्थान पर शब्द “टीपीएस-II (विस्तार)” रखे जाएंगे।

10.3 मूल विनियमों के विनियम 70 के खंड (च) के बाद खंड (छ) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:—

“(छ) मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक से नीचे उत्पादन स्टेशन के प्रचालन के लिए क्षतिपूर्ति

(1) जिन उत्पादन स्टेशनों का टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया गया है, उन्हें स्टेशन हीट दर और सहायक ऊर्जा खपत में निम्नीकरण, इन विनियमों के विनियम 70(क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक से नीचे लोडिंग के कारण अतिरिक्त द्वितीयक ईंधन तेल की खपत के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

(2) इस विनियम के विनियम (1) के अधीन निम्नीकरण के लिए क्षतिपूर्ति का वहन उस इकाई द्वारा किया जाएगा जिसके कारण संयंत्र का प्रचालन तदनुसारी मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक से निम्न अनुसूची पर किया गया है।

(3) स्टेशन हीट दर और सहायक ऊर्जा खपत के लिए क्षतिपूर्ति ऊर्जा प्रभार दर के संबंध में पता लगाई जाएगी।

(4) इस विनियम के विनियम (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से, इन विनियमों के विनियम 70(ग) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक सकल स्टेशन हीट दर (एसएचआर) का निम्नीकरण निम्नानुसार माना जाएगा:—

क) कोयला या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:—

क्र.सं.	इकाई की संस्थापित क्षमता के % के रूप में इकाई लोडिंग	एसएचआर में संवर्धन (सब-क्रिटिकल इकाइयों के लिए) %	एसएचआर में संवर्धन (सुपर-क्रिटिकल इकाइयों के लिए) %
1.	85 – 100	शून्य	शून्य
2.	80 – <85	2.1	1.8
3.	75 – <80	3.0	2.5
4.	70 – <75	4.0	3.3
5.	65 – <70	5.1	4.1
6.	60 – <65	6.1	4.9
7.	55 – <60	7.6	6.0
8.	50 – <55	9.2	7.1
9.	45 – <50	11.3	8.3
10.	40 – <45	13.8	9.9

ख) गैस या तरल ईंधन आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:—

(i) सीसीजीटी मोड में प्रचालन करने वाले मॉड्यूल/संयंत्र:

क्र.सं.	संस्थापित क्षमता के % के रूप में मॉड्यूल/संयंत्र लोडिंग	एसएचआर में संवर्धन (मॉड्यूल/संयंत्र के लिए) (%)
1.	85 – 100	शून्य
2.	80 – <85	2.5
3.	70 – <80	5
4.	60 – <70	8
5.	50 – <60	12

(ii) ओपन साइकल मोड में प्रचालन करने वाले मॉड्यूल/संयंत्र:

क्र.सं.	संस्थापित क्षमता के % के रूप में मॉड्यूल/संयंत्र लोडिंग	एसएचआर में संवर्धन (मॉड्यूल/संयंत्र के लिए) (%)
1.	85 – 100	शून्य
2.	80 – <85	3
3.	70 – <80	7
4.	60 – <70	11
5.	50 – <60	16

(5) इस विनियम के विनियम (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से, इन विनियमों के विनियम 70(ड) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक सहायक ऊर्जा खपत (एईसी) के निम्नीकरण को निम्नानुसार माना जाएगा:—

क) कोयला या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:

क्र. सं.	संस्थापित क्षमता के % के रूप में इकाई लोडिंग	स्वीकार्य एईसी में % निम्नीकरण
1.	85 –100	शून्य
2.	80 – <85	0.5
3.	70 – <80	1.1
4.	60 – <70	1.8
5.	50 – <60	2.5
6.	40 – <50	3.2

ख) गैस या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए:

क्र. सं.	संस्थापित क्षमता के % के रूप में मॉड्यूल/संयंत्र लोडिंग	स्वीकार्य एईसी में % निम्नीकरण
1.	85 –100	शून्य
2.	80 – <85	0.25
3.	70 – <80	0.50
4.	60 – <70	0.80
5.	50 – <60	1.20

(6) ग्रिड कोड विनियम, 2023 के विनियम 47 के अनुसार यूनिट शटडाउन के अधीन उत्पादन स्टेशन के लिए द्वितीयक ईंधन तेल खपत के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वर्ष में सात (7) स्टार्ट/स्टॉप से अधिक के लिए स्वीकार्य होगी। इस विनियम के विनियम (1) के अधीन क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से, प्रति स्टार्ट अप द्वितीयक ईंधन तेल खपत को निम्नलिखित मानदंड या वास्तविक, जो भी निम्नतर हो, के आधार पर माना जाएगा:—

यूनिट आकार (एमडब्ल्यू)	प्रति स्टार्ट अप द्वितीयक ईंधन तेल खपत (के1)		
	हॉट	वार्म	कोल्ड
200/210/250 एमडब्ल्यू	20	40	60
500 एमडब्ल्यू	30	60	100
660 एमडब्ल्यू	45	75	130
800 एमडब्ल्यू	60	80	150

टीथिंग या स्थिरीकरण मामलों के कारण, 55% यूनिट लोडिंग से नीचे प्रचालन करने वाली इकाइयों के लिए 0.2 एमएल/किलोवाट घंटा की अतिरिक्त विनिर्दिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत प्रदान की जाएगी तथा सुपरक्रिटिकल या अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल इकाइयों के लिए, स्टार्ट-अप तेल की 10% अतिरिक्त मात्रा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(7) क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखने हुए, वास्तविक ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त संगणित वित्तीय लाभों को आयोग के अनुमोदन से एनएलडीसी द्वारा जारी किए जाने वाली क्रियाविधि के अनुसार 1:1 के अनुपात में उत्पादन स्टेशन और लाभार्थियों के बीच साझा किया जाएगा।

(8) स्टेशन हीट दर, सहायक ऊर्जा खपत और द्वितीयक तेल खपत के वास्तविक भारित औसत प्रचालन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के अंत में क्षतिपूर्ति का समाधान किया जाएगा।

(9) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं प्रचालन) विनियम, 2022 के उपबंधों के अधीन विद्युत की अनुसूची में परिवर्तन को क्षतिपूर्ति के लिए नहीं माना जाएगा।

(10) आंशिक लोड प्रचालन और उत्पादन स्टेशन की इकाइयों के अनेक स्टार्ट और स्टॉप के कारण हीट दर, सहायक खपत, और द्वितीयक ईंधन तेल खपत के निम्नीकरण के लिए क्षतिपूर्ति का पता लगाने के लिए पद्धति का निर्धारण करने वाली क्रियाविधि, आयोग के अनुमोदन से पृथक रूप से एनएलडीसी द्वारा जारी की जाएगी।”

11. मूल विनियमों के विनियम 71 का संशोधन

क) मूल विनियमों के विनियम 71(क) के खंड (4) में सारणी में, स्टेशन रंगित के एनएपीएफ (%) को पंद्रहवीं पंक्ति में, दुलहस्ती को सत्रहवीं पंक्ति में और करछम वांगतू को सारणी की अंतिम पंक्ति में "90" के रूप में इंगित किया गया है, जिसे "87" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./25/2025-26]

नोट: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024, दिनांक 1 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III—खंड 4 में दिनांक 15 मार्च, 2024 की अधिसूचना सं. सं. एल-1/268/2022/सीईआरसी द्वारा प्रकाशित हुए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2025

No. L-1/268/2022/CERC—In the exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Section 61 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2024 as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1. Short Title and Commencement

- 1.1. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2025.
- 1.2. These regulations shall come into force from 1.4.2024.

2. Amendment of Regulation 3 of the Principal Regulations

- 2.1 Sub-regulation (9A) shall be added after sub-regulation (9) of Regulation 3 as under:-

“**Bank Rate**” means the one year Marginal cost of the lending rate as specified by the State Bank of India from time to time or any replacement thereof for the time being in force plus 100 basis points.”

3. Amendment of Regulations 9 & 10 of the Principal Regulations

- 3.1 In sub-regulations (5) of Regulation 9 of the Principal Regulations, the words and expressions “at the simple interest rate of 1-year SBI MCLR plus 100 basis points” shall be substituted by the words “at the bank rate”.
- 3.2 In sub-regulation (3) of Regulation 10, the Principal Regulations, the words and expressions “1 year SBI MCLR plus 100 basis points” shall be substituted by the words “the bank rate”.
- 3.3 In sub-regulations (6) of Regulation 10, the Principal Regulations, the words and expressions “the 1 year SBI MCLR plus 100 basis points” shall be substituted by the words “the bank rate.”
- 3.4 In sub-regulation (7) of Regulation 10, the Principal Regulations, the words and expressions “of the rate worked out on the basis of 1 year SBI MCLR plus 100 basis points” shall be substituted by the words “the bank rate.”

4. Amendment of Regulation 36 of the Principal Regulations

- 4.1 In the first proviso to clause (d) of sub-regulation (3) of Regulation 36 of the Principal Regulations, the number “0.09%” shall be substituted by the number “0.12%”.
- 4.2 The following proviso shall be added after the second proviso to clause (d) of sub-regulation (3) of Regulation 36 of the Principal Regulations:-

“ Provided that the self-insurance premium shall be transferred to a separate fund for utilization to meet the claims, and the expenditure incurred or amount utilized from the self-insurance fund shall be made available to the Commission as and when directed.”

5. Amendment of Regulation 37 of the Principal Regulations

5.1 The proviso under sub-regulation (2) of Regulation 37 of the Principal Regulations shall be substituted by the following provisos:-

“Provided that the generating company may request an interim input price in its petition, which may be allowed by the Commission up to 90% of the claimed input price after the first hearing of the application;

Provided further that the difference between the input price of coal determined under these regulations and the input price of coal either adopted by the generating company in terms of this sub-regulation or the interim input price allowed by the Commission under the first proviso to this sub-regulation shall be recoverable or payable in accordance with sub-regulation (4) of this Regulation.”

5.2 In sub-regulation (4) of Regulation 37 of the Principal Regulations and the second proviso thereunder, the words and expressions “1-year SBI MCLR plus 100 basis points” shall be substituted by the words “the bank rate.”

6. Amendment of Regulation 50 of the Principal Regulations

6.1 In the first proviso to sub-regulation (1) of Regulation 50 of the Principal Regulations, the words and expressions “based on the notified price of Coal India Limited for the commensurate grade of coal in a month, prior consent of the beneficiary(ies) shall be required to be obtained by the generating company;” shall be substituted by “based on the price of alternative coal available to the station in a given month, the generating company shall obtain prior consent from the beneficiary(ies);”

6.2 In the second proviso to sub-regulation (1) of Regulation 50 of the Principal Regulations, the words and expressions “based on the notified price of Coal India Limited for the commensurate grade of coal in a month”, shall be substituted by “based on the price of alternative coal available to the station in a given month”.

6.3 In the sub-regulation (1) of Regulation 50 of the Principal Regulations, the following explanation is inserted :
“Explanation: The alternative coal for the generating station will be the sourcing of coal from an arrangement that could have been made by the generating company in case of a shortage or non-availability of coal from the linked integrated mine and offers the least cost arrangement in comparison to all other available options.”

7. Amendment of Regulation 51 of the Principal Regulations

7.1 Regulation 51 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:-

“51. Adjustment on account of Shortfall of Overburden Removal (OB Adjustment):

(1) The generating company shall remove overburden as specified in the Mining Plan.

(2) In case of a shortfall or excess of overburden removal during a year, the generating company shall be allowed to adjust such shortfall or excess, as the case may be, if any, during the remaining years of the tariff period till 31.3.2029.

Provided that –

a) the excess overburden as on 31.3.2029, if any, on account of the reasons not attributable to the generating company, shall be allowed to be carried forward beyond the end of the tariff period at the time of true up of the input price;

b) the generating company shall submit the details of the adjustment of overburden at the end of the tariff period for the purpose of trueing up.

(3) Where the overburden removed in a year is less than the overburden to be removed as per the year wise schedule of extraction given in the mine plan, the adjustment on account of the shortfall of overburden removal (“OB Adjustment”) for that year shall be worked out as under:-

a) If Mine Developer and Operator is appointed:-

$$\text{OB Adjustment} = [\text{Factor of adjustment for a shortfall of overburden removal during the year}] \times [\text{Mining Charge during the year}]$$

b) If Mine Developer and Operator is not appointed:-

OB Adjustment = [Factor of adjustment for a shortfall of overburden removal during the year] x [Operation and Maintenance expenses of the mining activity during the year]

Where,

- i) Factor of adjustment for the shortfall of overburden removal during the year shall be computed as under:-

[(Annual Stripping ratio as per mining plan) - (Actual Stripping ratio based on the actual quantity of coal and overburden removed during the year)] / (1+Annual Stripping Ratio as per Mining Plan);
- ii) Annual Stripping ratio is the ratio of the volume of overburden to be removed for one unit of coal or lignite as specified in the Mining Plan.
- iii) Mining Charge is the quoted charge per tonne of coal or lignite paid by the generating company to the Mine Developer and Operator engaged by the generating company for mining, wherever applicable, without the OB adjustment as per contract with the Mine Developer and Operator.
- iv) Mining Charge and Operation and Maintenance expenses shall be in terms of Rupees per tonne corresponding to the stripping ratio and annual quantity of coal and overburden as per the mining plan.
- v) Operation and Maintenance expenses of the mining activity shall be the Operation and Maintenance expenses considered in the annual extraction cost in Regulation 43 of these regulations and excluding the Operation and Maintenance expenses related to crushing, transportation, washing, and handling in sub-regulation (1) of Regulation 40 of these regulations.
- vi) Where the generating company has engaged the Mine Developer and Operator for mining and the OB Adjustment is carried out as per the contract with the Mine Developer and Operator, the net OB adjustment as per this regulation shall be computed on the basis of the difference between the OB adjustment as per Regulation 51(3) of this regulation and the OB adjustment as per the contract of the generating company with the Mine Developer and Operator:

Provided that if the OB adjustment as per the contract with the Mine Developer and Operator exceeds the OB adjustment as per Regulation 51(3), the OB adjustment shall be treated as NIL.

(4) The provisions of this Regulation regarding adjustment on account of shortfall or excess overburden removal, as the case may be, shall not be applicable in case of the integrated mine(s) allocated through an auction route under the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.”

8. Amendment of Regulation 55 of the Principal Regulations.

8.1 In Regulation 55, the words “ Ministry of Coal, Government of India” shall be substituted by the words “the Central Government”.

9. Amendment of Regulation 64 of the Principal Regulations.

9.1 In the Second proviso to clause (d) of sub-regulation (3) of Regulation 64 of the Principal Regulations, the words and expression “clause (5)” shall be substituted by “clause(6)”.

10. Amendment of Regulation 70 of the Principal Regulations

10.1 In Clause (b) of Regulation 70(A) of the Principal Regulations, the words “ or thereafter, except those covered under clauses (c), (d) and (e);” shall be added after the words “as on 31.03.2024”.

10.1 In Clause (b) of Regulation 70(B), the Principal Regulations, the words “ or thereafter” shall be added after the words “as on 31.03.2024”.

10.2 In Regulation 70(E) of the Principal Regulations -

- a) In the table of Clause (b), the value of auxiliary consumption as “9.50%’ in the second row in the table in respect of Chandrapur TPS (2x250 MW) (DVC) shall be substituted as “9.80%”;
- b) Under sub-clause (iii) of clause (d), the words “TPS-I (Expansion)” shall be substituted as “TPS-II (Expansion)”.

10.3 Clause (G) shall be added after Clause (F) of Regulation 70 of the Principal Regulations as follows:-

“(G) Compensation for the operation of generating station below normative plant availability factor

(1) The generating stations whose tariff is determined by the Commission under Section 62 of the Act shall be compensated for degradation of station heat rate and auxiliary energy consumption, consumption of additional secondary fuel oil due to loading below the normative plant availability factor specified under Regulation 70(A) of these regulations.

(2) The compensation for degradation under regulation (1) of this regulation shall be borne by the entity that has caused the plant to be operated at a schedule lower than the corresponding Normative Plant Availability Factor.

(3) The compensation for the station heat rate and auxiliary energy consumption shall be worked out in terms of energy charge rate.

(4) For the purpose of compensation under regulation (1) of this regulation, the degradation of gross station heat rate (SHR) over and above the norms specified under Regulation 70(C) of these regulations shall be considered as under:-

- a) For coal or lignite based generating stations:-

Sr. No.	Unit loading as a % of Installed Capacity of the Unit	Increase in SHR (for sub-critical units) %	Increase in SHR (for super critical units) %
1.	85 -100	Nil	Nil
2.	80 - <85	2.1	1.8
3.	75 - <80	3.0	2.5
4.	70 - <75	4.0	3.3
5.	65 - <70	5.1	4.1
6.	60 - <65	6.1	4.9
7.	55 - <60	7.6	6.0
8.	50 - <55	9.2	7.1
9.	45 - <50	11.3	8.3
10.	40 - <45	13.8	9.9

- b) For gas or liquid fuel based generating stations:-

- (i) Module/ plant operating in CCGT mode:

Sr. No.	Module/ plant loading as % of installed capacity	Increase in SHR (for module/ plant) (%)
1.	85 -100	Nil
2.	80 - <85	2.5
3.	70 - <80	5
4.	60 - <70	8
5.	50 - <60	12

(ii) Module/ plant operating in Open Cycle mode:

Sr. No.	Module/ plant loading as % of installed capacity	Increase in SHR (for module/ plant) (%)
1.	85 -100	Nil
2.	80 - <85	3
3.	70 - <80	7
4.	60 - <70	11
5.	50 - <60	16

(5) For the purpose of compensation under regulation (1) of this regulation, the degradation of auxiliary energy consumption (AEC) over and above the norms specified under Regulation 70(E) of these regulations shall be considered as under:-

a) For coal or lignite based generating stations:

Sr. No.	Unit loading as a % of Installed Capacity	% degradation in AEC admissible
1.	85 -100	Nil
2.	80 - <85	0.5
3.	70 - <80	1.1
4.	60 - <70	1.8
5.	50 - <60	2.5
6.	40 - <50	3.2

b) For gas or liquid based generating stations:

Sr. No.	Module/ plant loading as % of installed capacity	% degradation in AEC admissible
1.	85 -100	Nil
2.	80 - <85	0.25
3.	70 - <80	0.50
4.	60 - <70	0.80
5.	50 - <60	1.20

(6) The additional compensation for secondary fuel oil consumption shall be permissible over and above seven (7) starts/stops in a year for the generating station under Unit Shutdown in terms of Regulation 47 of the Grid Code Regulations 2023. For the purpose of compensation under regulation (1) of this regulation, the secondary fuel oil consumption per start up shall be considered based on the following norms or actual, whichever is lower:-

Unit Size (MW)	Secondary fuel oil consumption per start up (Kl)		
	Hot	Warm	Cold
200/210/250 MW	20	40	60
500 MW	30	60	100
660 MW	45	75	130
800 MW	60	80	150

Additional specific secondary fuel oil consumption of 0.2 ml/ kWh shall be provided for units operating below 55% unit loading and for Supercritical or ultra-supercritical units, a 10% extra quantity of start-up oil shall be provided for a period of 3 years from the Date of Commercial Operation (CoD), due to teething or stabilization issues.

(7) The financial gains computed, after taking into account compensation, over and above the actual energy charges shall be shared between the generating station and the beneficiaries in the ratio of 1:1. in accordance with the procedure to be issued by NLDC with the approval of the Commission.

(8) There shall be a reconciliation of the compensation at the end of the financial year considering actual weighted average operational parameters of station heat rate, auxiliary energy consumption and secondary oil consumption.

(9) The change in the schedule of power under the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operations) Regulations, 2022 shall not be considered for compensation.

(10) Procedure stipulating the mechanism to work out the compensation for degradation of heat rate, auxiliary consumption, and secondary fuel oil consumption due to part load operation and multiple start and stop of units of the generating station shall be issued by the NLDC separately with the approval of the Commission.”

11. Amendment of Regulation 71 of the Principal Regulations

- a) In the table in Clause (4) of Regulation 71(A) of the Principal Regulations, the NAPAF (%) of the station Rangit is indicated in the fifteenth row, Dulhasti is indicated in the seventeenth row and Karcham Wangtoo is indicated in the last row of the table as “90” shall be substituted by “87”;

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./25/2025-26]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024 were published vide notification No. No. L-1/268/2022/CERC dated 15th March 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4. No. 468 dated 1st July 2024.